अध्याय - 1

प्रस्तावना

प्रस्तावना :-

केंद्र तथा राज्य शासन विगत पांच दशकों से भी अधिक अवधि से जनजातीय विकास हेतु प्रयासरत है ? जनजातीय विकास एवं जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु शासन द्वारा संस्कृति संरक्षण सह विकास की नीति को अंगीकृति किया गया है। जनजातीय विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना से आज तक जनजातीय उपयोजना के माध्यम से आज जनजातीय शिक्षा, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य एवं क्षेत्रीय विकास से सम्बंधित गहन कार्यक्रम चलाये जा रहे है। अपने विशिष्ट संस्कृति लक्षणों तथा निवास क्षेत्र के कारण विख्यात बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति राष्ट्र के 75 तथा राज्य के पांच चिन्हित आदिम जनजातीय समुदाय में से एक है। (वर्तमान समय में सात आदिम जनजातीय बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझमाड़िया, पहाड़ी, कोरवा, भुजिया, गिने जाते हैं) बैगा जनजातीय में संचालित योजनाओं का मुल्यांकन पर आधारित यह विषय चुना गया है। बैगा छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ में इनकी जनसंख्या 89144 (जनगणना 2011)मे आंकी गयी थी, जो की कुल जनजातीय जनसंख्या के 1.147% व साक्षरता दर 32.17% है, जिनमे से पुरुष 40.01% तथा महिलाये 24.34% साक्षरता दर आँकी है। राज्य में बैगा जनजातीय समूह मुख्य रूप बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया और राजनांदगांव जिले में निवासरत हैं।

बैगा जनजाति के उत्पत्ति को देखे तो इस सम्बन्ध में अभी तक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। परंतु रसेल हीरालाल व ग्रियर्सन (1920-32) के आधार पर इसे 'भूमिया' भईया का एक अलग समूह माना गया है। किवदंतियों के अनुसार ब्रम्हा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तब उसने दो व्यक्ति उत्पन्न किये जिनमें से एक व्यक्ति को ब्रम्हा जी ने नागर (हल) पकड़ाया व्यक्ति नागर लेकर खेती करने लगा जो आगे चलकर 'गोंड' कहलाने लगे तथा दुसरे व्यक्ति को ब्रम्हा जी ने टंगिया (कुल्हाड़ी) दिया। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल काटने चला गया, चुकि उस समय वस्त्र नहीं था अत: यह नंगा बैगा कहलाये तथा यह आगे चल कर इनके वंशज बैगा कहलाये। यह पहाड़ी, दुर्गम जंगलों पर मिट्टी व घासफूस के घर बना कर जो जंगलो के कंदमूल, फल-फूल, शिकार तथा बॉस के टोकरी, सूपा, मछली पकड़ने के वस्तु इत्यादि का उपयोग करते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

विकास एक जटिल एवं निरंतर चलने वाली बहु-आयामी प्रक्रिया हैं। इसे न तो किसी एक - दृष्टिकोण में बांधा जा सकता हैं और न ही किसी एक -दृष्टिकोण से व्याख्या की जा सकती हैं। विकास को परिभाषित करना एक टेड़ी खीर हैं अलग-अलग विद्वानो में इसे अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया जाता हैं। प्राय: पाठ्य पुस्तकों में विकास की परिभाषा नहीं दी जाती हैं। सीधे शब्दों में 'विकास' का अर्थ हैं 'प्रगामी' दिशा की ओर परिवर्तन। परन्तु 'प्रगामी' शब्द सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। इसलिए वांछित दिशा में परिवर्तन कहना अधिक उपयोगी होगा। यदि हम अपने विकास की बात करें तो इस परिभाषा से संभवतः किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। जहाँ तक जनजातियों के विकास का मुद्दा हैं तो प्रश्न उठता है कि किसकी इच्छा से योजनाए, योजना बनाने वालों की इच्छा से या लागू करने वालो की इच्छा से या फिर जनजातियों की इच्छा से? यह एक अहम् प्रश्न हैं क्योंकि प्रायः जनजाति विकास के नाम पर दूसरों ने अपनी इच्छायें जनजातियों पर थोपने की धृष्टता की हैं।

विकास विशेष कर आर्थिक विकास का एक अन्य आयाम भी है क्योंकि बिना किसी समय सीमा के आर्थिक विकास निरर्थक है। कुल मिलाकर विकास का अर्थ है- एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत वांछित दिशा में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते है। यह बात सर्वविदित है कि एक ओर हमने जनजातियों की इच्छाओं की अनदेखी की है तो दूसरी ओर स्वनिर्धारित समय की सीमा रेखा का बार-बार उल्लंघन किया है। इस समुदाय को आदिवासी, वनवासी, आदिम जाति तथा कानूनी शब्दावली में अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता हैं।

आदिवासी विकास का मुख्य मुद्दा जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है। आदिवासी जनजीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना तथा आदिवासी जो अभावों से वे जूझ रहे हैं, उन अभावों को दूर करना, आदिवासी समाज और गैर- आदिवासी समाज के बीच जो खाई है उसे पाटकर समाज को मुख्यधारा के समकक्ष लाना ही आदिवासी विकास है। दुसरे शब्दों में कहें तो आदिवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थितियों में परिवर्तन लाना, उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, प्रति व्यक्ति आय को बढाना, शिक्षा के स्तर को उन्नत करना, उनमे निहित अन्धविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करना, तथा क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास करना एवं आदिवासी समुदाय की विशिष्ट पहचान को बनाये रखना ही आदिवासी विकास हैं। इन आर्थिक विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन से ज्ञात उपलब्धियों व कमियों का विश्लेषण कर बैगा जनजाति के सुनिश्चित व सतत आर्थिक विकास हेतु लघु कार्य के रूप में चुना गया हैं।

विकास की परिभाषा:-

(1) जिन्सबर्ग के अनुसार:- 'विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जो किसी वस्तु में नवीनता पैदा करती है और संक्रमण को निरंतरता में व्यक्त करती है।'

(2) मैकाइवर एवं पेज के अनुसार:- 'विकास परिवर्तन की एक दिशा है, जिसमें बदलने वाले पदार्थो की विभिन्न दशाएँ प्रगट होती है व जिसमें पदार्थो की यथार्थता का ज्ञान होता है।'

ग्रामीण विकास:- ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों जीवन स्तर प्रतिमानों में बदलाव लाने वाली विस्तृत प्रघटना है, जिसका विस्तृत आधार एवं क्षेत्र है। ग्रामीण विकास को विभिन्न दृष्ट्रिकोण से विभिन्न विद्धानों द्वारा परिभाषा दी है जिसमें से कुछ परिभाषा निम्न है-

(1) वर्ड बैक के अनुसार (1992):- 'ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले भूमिहीन एवं मजदूर वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाने के कार्य में लाने वाली एक व्यूह रचना है।'

(2) भार्गव बी. एस. के अनुसार (1999):- 'आपके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों, प्रतिनिधियों एवं ग्रामीण जनता के द्वारा ग्रामों का विकास संभव है, जब तक इन्हे पर्याप्त अधिकार एवं उतरदायित्व नही सौपे जाते तब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव नही है।'

1.1 विषय का चुनाव:-

किसी भी प्रकार के समस्याओं का अध्ययन करने से पहले उस विषय का चुनाव करना अतिआवश्यक होता है। जब मैं एम.ए. (मानवविज्ञान द्वितीय सेमेस्टर) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविघालय रायपुर छत्तीसगढ़ में था तब मैंने "गोड़ जनजातीय में वृद्धावस्था एंव उनके जैव-सांस्कृतिक प्रभाव" का अध्ययन किया । अध्ययन के दौरान जनजातीय परिवार तथा समाज किस प्रकार रहती है उनकी जरूरते किस प्रकार पुरी होती है। परिवार व समाज वृद्ध व्यक्ति के बारे में क्या सोचती है। इन सभी चीजों को ध्यान ने रखकर जनजातीय को तथा सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिये लाखो करोड़ो खर्च कर विकास योजना चला रहा है फिर भी जनजाति समाज विकास की मुख्य धारा से दूर है। यह प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत दिंनो से विचार पैदा कर रहा था । इस जिज्ञासा को शांत करने के लिये मैंने एम. फिल मानवविज्ञान के लघु-शोध प्रबंध के रूप में बैगा

जनजातीय में संचालित सरकारी योजनाओं का अध्ययन पर विशेषीकृत है। जिसे कबीरधाम जिला के बोड़ला विकासखड़ के अंतर्गत आने वाले दो पंचायत पंडरिया, बोदा47 के मोतिनपुर, करमंदा, गर्रा ग्रामों के अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

1.2 अध्ययन का महत्व:-

अनुसंधान चाहे जिस क्षेत्र में भी किया जाए उनका एक निश्चित उददेश्य एवं महत्व होता है। उस उददेश्य एवं महत्व के आधार पर अनुसंधान का औचित्य का निर्धारण होता है। आज कोई भी समाज परिवर्तन से अछुता नहीं है। यह अवश्य है कि नगरीय व ग्रामीण समाज की तुलना में जनजातीय समाज में परिवर्तन की गति धीमी रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण जनजातीय समाजों की पृथकता है। लेकिन वर्तमान में जनजातीय समाज ग्रामीण व नगरीय समाज की ओर गतिशील है, इसका विशेषकर ग्रामीण व नगरीय समाज के लोंगो ने भी अपने आर्थिक लाभ के लिए इनके समाजों में प्रवेश कर रहा है। जनजातीय समाज सुदूर, बीहड़ जंगलों, पहाड़ों पर निवास करते आये हैं तथा उनकी अपनी एक संरचना परम्परा होती है। सुदूर स्थानों पर बसने के कारण सरकार द्वारा चलने वाले योजना इस तक दूर (देर) से पहुँचती हैं या नहीं पहुँच पा रहा है। नवीन संवैधानिक प्राविधानों ने आदिवासियों के जीवन निर्वहन की प्रकिया को प्रभावित किया हैं। जिन वनों के वे स्वामी हुआ करते थे, उन पर शासकीय आधिपत्य आ जाने से उनकी आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन परिलछित हुआ है। ऐसे स्थिति में बैगा आदिवासियों की आर्थिक संरचना का विश्लेषणात्मक अध्ययन समीचीन था।

1.3 अध्ययन का उददेश्य:-

कोई भी अनुसंधान कार्य बिना उददेश्य के इधर-उधर पैर मारने जैसा है। ज्ञान का क्षेत्र असीमित है। अतः सीमाएँ निश्चित करना आवश्यक है। इसी दृष्टि से प्रत्येक अनुसन्धान कार्य के उददेश्य सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित कर लिए जाते है। इसी मान्यता के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन के भी निर्दिष्ट किये हैं जो निम्नवत है -

(1) बैगा जनजातीय के विशेष संदर्भ में संचालित सरकारी योजनाओं का अध्ययन।

(2) बैगा जनजातीय में संचालित सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता, स्वीकारिता एवं उपयोगिता का अध्ययन करना।

(3) बैगा जनजातीय की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

(4) बैगा परिवारों की आय व व्यय के स्वरूप एवं स्त्रोत का अध्ययन करना।

1.4 शोध की सीमा एवं परिसीमाऐं:- सीमाऐं - अध्ययन विषय की सीमा छ.ग. के कबीरधाम जिला के बोड़ला विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में निवासरत् बैगा परिवारों में सरकार द्वारा इनके विकास के लिए चलाये जा रहे विकास योजना की स्थिति का अध्ययन करना रहा है।

बाधाऐं :- (1) वर्तमान क्षेत्रकार्य के दौरान एक ही गाँव में बैगा परिवारों की संख्या कम होने के स्थिति में एक गाँव से दूसरे गाँव जो लगभग 5 से 15 किलोमीटर की दूरी में निवासरत् बैगा गाँवों में जाना पड़ता था। अधिकांश बैगा गाँवों में कच्ची सड़के व पगड़डी रास्तों से हो कर जाना पड़ता था।

(2) अधिकांश बैगा परिवार दिन-भर अपनी रोजी-रोटी के कार्य में लगे रहते थे। इस स्थिति में उनके द्वारा बताये गये समय में मुलाकात कर जानकारी भरना पड़ता था।

(3) बैगा जनजाति जो अधिकांश रूप से बाहरी लोंगो को देखकर ड़रते है और वह घर या जंगल में छुप जाते थे। इस स्थिति में उनके बच्चों के साथ बात करते हुये समय गुजारते हुये इन्तिजार करना पड़ता था।

(4) अधिकांश बैगा अशिक्षित होने की स्थिति में पुछे गये प्रश्नों के उत्तर देर से देते थे।

(5) अध्ययन क्षेत्र जंगलो से काफी घिरा हुआ है जिनके कारण आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ा।

1.6 साहित्य पुर्नावलोकन :-

किसी भी शोध कार्य का द्वितीय एवं महत्वपूर्ण चरण साहित्य पुर्नावलोकन होता हैं और यह चरण शोध कार्य को दिशा प्रदान करता हैं। इससे शोध से सम्बंधित साहित्य कार्यों का अवलोकन किया जाता हैं इसमें निम्न उल्लेखनीय हैं -

पी. के. महंती (2002) महोदय ने अपनी पुस्तक ग्रन्थ *"डेवलपमेंट आँफ प्रिमिटिव ट्रायबल ग्रुप्स इन इंडिया"* में जनजातियों के समूह जो प्रमुख रूप से आदिम जनजातीय समूहों के विकास पर प्रकाश डाला हैं। इसमें इन्होंने टोटो, लोधा व चेंचू आदिम समूहों का नृजातीय वर्णन प्रस्तुत किया हैं। तथा जनजातीय विकास के अनेक पक्षों का अध्ययन कर लिखा कि विकास कार्यक्रम न्यूनतम अधिकतम रूप से अर्थात कम रूप से परिवर्तन ला रहे हैं। इन आदिम जनजातियों के विकास के लिए सरकार व स्वेच्छिक संगठन मिल कर कार्य करना चाहिए पी. के. महंती ने बताने का प्रयास किया है।

तथा विजय शंकर उपाध्याय, गया पांडेय (2002) महोदय जी ने अपनी पुस्तक *"जनजातीय विकास"* जो कि दस अध्याय व 203 पृष्ठ में है। विजय शंकर व गया पाण्डेय ने मिलकर इस पुस्तक मे अध्याय अनुसार अध्याय एक में जनजातीय विकास की अवधारण व अध्याय दो में जनजातीय विकास का इतिहास व परिवर्तन -दृष्टिकोण प्रतिरूप, तीन में इतिहास, चार में आन्दोलन, पांच में जनजातीय एवं जंगल, छ: में समस्याएं, सात में जनजातीय पर नगरीयकरण एवं ओद्योगिक का प्रभाव, आठ में अनुसूचित जनजातीयों को लिए संवैधानिक सुरक्षा एवं सुविधा, नौ में जनजातीय ग्रामीण विकास योजनाएँ एवं उनका क्रियान्वयन व अध्याय दास में जनजातीय विकास की भावी नीतियों ग्रन्थ सूची को रखते हुए बताया गया है कि किस प्रकार से जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर नीति का निर्धारण किया जा, व भारतीय संस्कृति को बचा, रखने अर्थात जल – जंगल और जमींन को सुरक्षित रखने के साथ ही साथ विजय शंकर उपाध्याय व गया पाण्डेय ने कहा कि जनजातियो की विकास में बाधा उनके निवास स्थान को माना हैं तथा उसने अपने अध्ययन में पाया कि इनमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, कुपोषण निर्धनता अधिक है। इस पुस्तक के अंतर्गत अवधारणा, आन्दोलन, प्रशासन समस्याएं, जंगल एवं जनजाति नगरीयकरण औद्योगिकीकरण इत्यादि। विकास हेतु विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया हैं। जिनसे जनजातियों में तीव्र विकास हो सके और समाज के मुख्य धारा से जुड़ कर विकास में अपना योगदान दे सके। ईसी प्रकार से नरेश कुमार वैद्य (2003) महोदय ने अपनी पुस्तक *"जनजातीय विकास मिथक एवं यथार्थ"* में प्राक्कथन के रूप में ग्यारह अध्याय में 198 पृष्ठ में इस पुस्तक को विभक्त कर जनजातीय विकास को आधार बनाते हुए इस पुस्तक में विकास की अवधारणा, जनजातीयों का सरकारी विवरण योजनाएं एवं विकास के मूल्यांकन के लिए आठवी व नौवी पंचवर्षीय योजना जनजातीय विकास के वर्किंग ग्रुप, कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (1991 - 92) तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त की 29वीं रिपोर्ट के अध्ययन को आधार बताया व जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राज्यवार जनजातियों की जनसंख्या को बताते हुए सरकारी कमियों को बताया कि किस प्रकार विकास के लिए कहा तक कार्य कर रहे हैं और कितने सफल रहे हैं।

टी.के. वैष्णव (2007) ने अपनी शोध प्रकाशन *" छत्तीसगढ़ का जनजातीय परिदृश्य"* में इस पुस्तक को सात भागों में तथा 95 पृष्ठ में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, पोषणात्मक, कला-कौशल को बताते हुये बैगा जनजाति की उत्पत्ति आजीविका के साधन देवी-देवता, गोत्र, विवाह, लोक-नृत्य, लोक-गीत को बताते हुये आज भी विकास के श्रेणी से दूर होने के कारणों में घने जंगलो, पहाड़ियों, घाटियो व दुर्गम स्थलो में निवास करने के कारण स्वतन्त्रता के इतने दशक में

विकास के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे है उसके कारणों को बताया है।

शीला दास गुप्ता (2007-08) ने अपनी शोध-पत्र *"बैगा जनजाति का प्रकृति से सीधे सम्बन्ध"* (अचानकमार – अमरकंटक जैव मंडल का मानव वैज्ञानिक वृतांत) में बैगा जनजातियों की राज्य में जनसंख्या, भाषा, बोली, स्त्री-पुरुष जनसँख्या, लिंगानुपात, गोत्र, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक जीवन, रीति-रिवाज परम्पराओं को बताते हुए बैगा जनजाति का वर्तमान स्थिति व विकास की स्थिति को बताने के लिए उनके परम्परागत व्यवसाय, खेती, बॉस की टोकरी, मछली पकड़ने के फंदे बना कर जीवन यापन कर रहे है उसे अपने शोध – पत्र में बताया हैं।

विजय चौरसिया महोदय ने अपनी पुस्तक *"प्रकृति पुत्र बैगा"* के प्रथम संस्करण(2004) में बैगा जनजाति की जनसंख्या, गांवो व स्त्री, पुरूष की संख्या, रहन-सहन का वर्णन किया है तथा डॉ. विजय चौरसिया (2009) की संस्करण में सात अध्याय 270 पृष्ठ के पुस्तक में बैगा जनजाति की साहित्य ओर संस्कृति के पहलू का वर्णन करते है कि बैगा जनजाति के पास जो विशिष्ट लोक कथाओं, किवदंतियों एवं मिथको जो विपुल भण्डार है वह धीरे-धीरे सभ्य समाज के दखल से विलुप्त के कगार में है। उसे बचाने व लोगों तक इसे पहुचाने के लिए इस प्रकृति पुत्र बैगा के आधार पर जनजातीय जीवन दर्शन को बताया है कि आज भी वह किस प्रकार विकास के श्रेणी से दूर हैं।

शर्मा, के. के. (2009) महोदय ने अपने प्रकाशन *"भारत में पंचायती राज"* में विकास को किस प्रकार लागू किया जा, तथा विकास में महिलाओं की भूमिका को बताते हुएं कहते हैं कि भारत ग्रामों का देश हैं यहाँ की अधिकाश आबादी गांवो में निवास करती हैं। सम्पूर्ण भारत के समग्र विकास और उसके किसी भी कार्यक्रम की योजना को क्रियान्वित करने के लिए उनका एक स्थानीय प्रतिनिधि होना भी उतना आवश्यक है। इसी विकास को आगे बढाने के उद्देश्य से गाँवों को शासन की एक इकाई के रूप में अंगीकार कर उसे केन्द्रीय शासन से प्राप्त अधिकारों की क्रियान्वित रुप में पंचायती राज का स्वरूप प्रदान कर गांवों में विकास के लिए योगदान पर जोर दिया हैं उसे बताया गया है।

शिवकुमार तिवारी, श्री कमल शर्मा (2009) महोदय ने अपने पुस्तक *" मध्य प्रदेश की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था"* में दस अध्याय 285 पृष्ठ में विभक्त करते हुए जनजातियों का संदर्भ जनजातियो का प्रजातीय आधार, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातियां व समाज अल्प विकसित एवं विशिष्ट उद्योग-धंधे वाली जनजातीय वितरण व जनांकिकी जनजातीय विकास योजनाएं,

अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बताते हुए शिवकुमार तिवारी और श्री कमल शर्मा महोदय ने जनजाति विकास योजना के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के विकास में जनजातियों के लिए बना, गए योजना से लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के विकास व आदिवासी जनजातीय उपयोजना की अवधारण को प्रस्तुत किया हैं। तथा विकास योजना जनजाति क्षेत्र में अत्यधिक रूप से सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? उसे बताने का प्रयास किया है।

एस. एन. चौधरी, मनीष मिश्रा (2012) के संपादक में बनी यह सम्पादित पुस्तक में कुल 16 शोध आलेख हैं। इन आलेखों में स्वतन्त्र भारत में जीवन के क्षेत्रों में जनजातियों की स्थिति एवं उसकी गत्यात्मकता की जानकारी के साथ जनजातीय यथार्थ का विश्लेशण संवैधानिक एवं शासकीय प्रयास, नगर समाज का हस्तक्षेप तथा आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण के सन्दर्भ में किया गया है। इसी पुस्तक में शिवकुमार पाण्डेय महोदय अपना शोध –पत्र "भारत का संविधान विकास परियोजनायें एवं आदिवासी विकास का सच" में विकास को परिभाषित करते हुए जनजातियों के विकास में बाधा भौगोलिक क्षेत्र, एकाकीपन और पृथकीकरण को मुख्य माना है। तथा भारतीय संविधान द्वारा जनजातियों को दिए गए संवैधानिक प्रावधान से किस प्रकार जनजातीय विकास कर सकते हैं, व राज्यवार जनसंख्या का विवरण देते हुए मध्यप्रदेश की चिन्हित बैगा जनजाति की जनसंख्या, साक्षरता, सड़क पेयजल, स्वास्थ्य व शैक्षणिक स्थिति को अपने शोध-पत्र में बताया है।

उदय सिंह राजपूत (2012) ने अपनी शोध-*पत्र "मध्यप्रदेश में आदिवासी विकास एवं गैर-सरकारी संगठन*: दशा और दिशा" में उदय सिंह राजपूत ने विकास को समझने का प्रयास व संविधान द्वारा दिए गए संवैधानिक अनुच्छेद 15(1), 16(4), 46, 164, 275(1), 243(घ), 330, 332, 335, 339(1) व (2), 340, 342, तथा 380 में विशेष सुरक्षा सम्बंधित प्रावधान जो पांचवी व छठी अनुसूची के आधार पर मध्यप्रदेश की जनजातियों की जनसंख्या, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सिचांई, पेयजल, सड़क सामाजिक सुरक्षा इत्यादि जैसे आधारभूत क्षेत्रों में स्थितियां अपेक्षित लक्ष्यों से बहुत नीचे है। साथ ही साथ विकास के बाधक को बताया है कि मनुष्य द्वारा समुदाय के विकास में प्राथमिक आवश्यकताओं तथा समस्याओं की ओर ध्यान न देना, कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी न लेना, लचर आपूर्ति व्यवस्था तथा समुदाय में पाये जाने वाले कुरीतियाँ जो आर्थिक रूप से पंगु बना देती है। लेकिन कुछ वर्षों में संघठनों के गतिविधियों के कारण आदिवासी समुदाय में कुछ बदलाव आ रहे हैं। वह अब खेती करना, पशुपालन व शिक्षा में बदलाव को उदय सिंह ने अपने शोध-पत्र में बताया है।

सर डब्ल्यू.वी. ग्रियर्सन (1938) महोदय ने अपनी पुस्तक "द माडिया गोंड्स आफ बस्तर" में अबूझमाड़िया जनजाति के निवास क्षेत्र को आधार बनाकर इस जनजाति को दो भागों में बाट़ा है। पहला हिल माडिया व दूसरा बाँयसन हार्न माडिया नाम से 'द माडिया गोड्स आफ बस्तर' में अबूझमाड़िया जनजाति से सम्बन्धित सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक व धामिक पक्षो का नृजातीय अध्ययन कर विकास में बाधा व सहायक पहलूओं को बताने का प्रयास किया है।

एडवर्ड जे. जे. (1963) में अपनी पुस्तक "ए ट्रायबल विलेज आफ मिडिल इंडिया" में ग्रामीण समाज का अध्ययन किया तथा ग्रामीण समाज की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को बताने के लिए अबूझमाड़िया जनजाति से सम्बन्ध बताते हुए कहा कि अबूझमाड़िया जनजाति में सामाजिक - सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्रियाओं एवं ग्रामीण जीवन में अंतर बताया हैं कि जनजातीय समाज व ग्रामीण समाज में किस प्रकार जीवन-यापन किया जाता है। उसे *"ए ट्रायबल विलेज आफ मिडिल इंडिया"* पुस्तक में व्यक्त किया गया हैं।

आर. एम. मिश्रा (1972) ने अपने शोध प्रबंध में जनजातियों के नृजातीय अध्ययन कर जनजातियो के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धर्म तथा जादू को बताया कि विकास में यह किस प्रकार सहायक व बाधा है।

ए. के. सिंह (1984) महोदय ने अपनी पुस्तक *"ट्रायबल डेवलपमेंट इन इंडिया"* में बिहार के विशुनपुर ब्लाक के 20 ग्रामों में निवास करने वाले जनजातियों पर अध्ययन कर बताया कि सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता आवास सामाजिक विकास संबंधी कार्यक्रमों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला की सामुदायिक कार्यक्रम औसत पाया जबकि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम कुछ समुदायों के लिए उपयोगी नहीं है। उसे विकास के लिए शिक्षा का प्रचार-प्रसार पर जोर देने की बात कही गई है।

एच. सिंह (1994) महोदय ने अपनी पुस्तक *"ट्रायबल डेवलपमेंट एंड मिनिस्त्रेशन"* में जो मुख्य रूप से राजस्थान के जनजातीय पर जो विकास के लिए योजनायें चलाये जा रहे थे। उन पर अध्ययन कर उनका मूल्यांकन किया वह कहा की जनजातियों में विकास ग्रामीण समाजों की अपेक्षा राजस्थान की क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति कम विकसित है।

बी. डी. शर्मा (1994) अपनी पुस्तक "आदिवादी विकास एक सैधांतिक विवेचन" में लघु आदिवासी समाजो का विकास के अंतर्गत अबूझमाड़िया के अबूझमाड़ विकास के लिए साधन संभावना वर्तमान जनशक्ति, जनसंख्या तथा विकास के लिए समाजशास्त्री, मानवशास्त्रियों के योगदान

देने व अबूझमाड क्षेत्र व अबूझमाड़िया जनजातियों के विकास के लिए सड़क, स्वास्थ, शिक्षा व रोजगार को महत्वपूर्ण माना गया हैं।

जैन एवं त्रिवेदी (1996) महोदय ने "आदिवासी विकास योजनाएं" के आधार पर राजस्थान उपयोजना क्षेत्र के जनजातियों में मुख्य क्रम से कृषि, शैक्षणिक स्तर व सामूहिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों का अहसास करके बताया कि जनजातियों में विकास योजना जो की सरकार व संस्था के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। उनका प्रभाव जनजातियों में हुआ हैं कहा तथा विकास योजनायों में स्थानीय स्रोतों पर जोर दिया हैं।

प्रो. हीरालाल शुक्ल (1997) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के तुलनात्मक भाषा और संस्कृति विभाग के सहयोग से आपने अपनी पुस्तक "आदिवासी अस्मिता और विकास में बैगा जनजाति के विषय में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की है।

पी. सी. मेहता (1999) *"ट्रायबल डेवलपमेंट"* अपनी ग्रन्थ में जनजातीय विकास कार्यक्रमों के प्रभाव व मूल्यांकन पर आधारित है। इनमें मेहता महोदय ने यह बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रभावी रूप से कार्य किया है। जिनके परिणाम स्वरुप परिवारों की आय आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आया है उसे बताया है।

बैगा आदिवासियों के बारे में सबसे पहले सन 1867 में कैप्टन थामसन ने लिखा था कि बैगा बहुत घने जंगलों में रहने वाले लोग हैं। थामसन ने इन सहज रूप से अगम्य वनों में रहने वाले लोगों को *'जंगली जनजाति'* के नाम से पुकारा। तथा 1868 से 1885 तक बालाघाट बिलासपुर जोंन के डिप्टी कलेक्टर कर्नल ब्लोम फीड ने भी बैगा जनजाति पर लेखन कार्य किया और उसके कुछ दिनों बाद अपना रिपोर्ट तैयार कर ब्रिटेन की ईसाई मिशनरी को भेजा। सन 1931 में रसेल महोदय ने भी करीब 24 पेजों पर बैगा जनजाति के इतिहास पर चित्रण किया। इसके पश्चात सन 1932 में वैरियल एल्विन ने अपने मित्र श्याम राव हिवाले के साथ बैगा चक के ग्राम पाटन एवं सडवा छापर में रहकर करीब 6 वर्षों तक इन जनजाति पर कार्य किया और 'द बैगा' नामक पुस्तक लिखी। यह बैगाओं पर पहली पुस्तक थी जो बैगा जनजाति के सम्पूर्ण जीवन को समाहित करती हैं जिसमें बारीक़ से बारीक पक्षों को वैरियल एल्विन ने इस पुस्तक में वर्णन किया हैं।